प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **174 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
किशनलाल मेघवाल निवासीः गांव करणपुर, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/11/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/174/25/1053–54 दिनांक 03.10.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./174/25/1000 दिनांक 13.10.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। चाही गई वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 892 दिनांक 09.09.2025 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) व 7(5) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अनुसार नियमानुसार 2 रुपये प्रति पेज के माध्यम से कुल पृष्ठ संख्या 182 अनुसार कुल राशि रुपये 364/– राजकोष में जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया था। अतः प्रार्थी को निर्देशित करे कि उनके द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा उक्त सूचना प्राप्त करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना चाहने हेतु जरिये पत्रांक 892 दिनांक 09.09.2025 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में शुल्क जमा नहीं करवाये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रेषित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रत्युतर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में यह माना उचित होगा है कि वांछित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है एवं वह प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिये की नियमानुसार वांछित सूचना शुल्क प्रत्यर्थी के कार्यालय में जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर